भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

46AA 082146

किराया नामा

मैं, विकास गोयल पुत्र श्री कृष्ण कुमार गोयल निवासी मकान नं. 68-बी, गोबन्द नगर, अम्बाला छावनी का हूं। यह कि मैंने दुकान मालिक श्रीमति सुभाष कुमारी पत्नी श्री कृष्ण कुमार गोयल निवासी मकान नं. 68-बी, गोबन्द नगर, अम्बाला छावनी से एक दुकान आईडी नं. 87C143U253PI भुमि साईज 86.5 square yard है जोकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्वी भुजा के साथ, महेश नगर, अम्बाला छावनी में स्थित है, को निम्नलिखित शर्तो पर किराए पर ले रहा हूँ :-

1. यह कि उपरोक्त दुकान अंकित 20,000/- (अंकित बीस हजार रूपये) मासिक किराये पर तिथि 01-02-2019 से ले रहा हूँ। मैं प्रति मास की अग्रिम 1 से 7 तिथि तक किराया दुंगा। यह दुकान मैंने 11 महीने के लिए किराये पर लिया है और दोनों पक्षों की आपसी सहमती से 11 महीने के बाद नया किरायानामा लिखा जाएगा और किराये में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
2. यह कि मैं इस दुकान में कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। उक्त दुकान में Diagnositic Lab का काम करूंगा।
3. यह कि अन्य मैं किसी को यह दुकान सबलैट नहीं करूंगा।
4. यह कि मैं बिजली व पानी का बिल स्वयं अदा करूंगा।
5. यह कि उक्त दुकान व कमरे में कब्जे की अवधि के अन्दर-अन्दर मेरे या मेरे किसी कारिन्दे द्वारा जानबूझकर हानि पहुँचाई गई तो उसका मैं स्वयं जिम्मेवार हूंगा तथा हानि की राशि स्वयं अदा करूंगा।

Vikas Goyal

विकास गोयल

किरायेदार

Subash Kumari

सुभाष कुमारी

दुकान मालिक

26/2/19 2490 10/- Vikas Goyal S/o Krishan Kumar, R/o 68-B, Gobind Nagar, Ambala Cantt,

साक्षी Krishan Kumar Goyal

Rentdeed

HARPREET SINGH
STAMP VENDOR
MAHESH NAGAR AREA,
AMBALA CANTT. - 133 001

6. यह कि उपरोक्त दुकान या उसके साथ लगती सम्पत्ति पर किसी प्रकार की बढ़ाव, निर्माण, हानि, तबदीली बिना मालिक की लिखित आज्ञा के नहीं करूंगा।

7. यह कि किरायेदारी के समय के बीच में दुकान छोड़ने के लिए एक मास का नोटिस लिखित रूप में मालिक का दूंगा। अगर दुकान मालिक को दुकान की जरूरत पड़ती है तो वह भी मुझ किरायेदार को 1 महीने पहले नोटिस दे देगा। इसमें मुझ किरायेदार को कोई एतराज नही होगा।

8. यह कि किरायेदारी की समाप्ति पर दुकान का कब्जा दुकान मालिक को दूंगा।

9. यह कि उपरोक्त बातों की उल्लंघना की अवस्था में किरायेदारी समाप्त करने का दुकान मालिक को पूरा अधिकार होगा कि वह दुकान का कब्जा लेने और हर प्रकार के बकाया जात की वसूली कानून के अन्दर करने का अधिकार होगा। सारा अदालती खर्चा मैं किरायेदार अदा करूंगा।

10. यह कि किरायेदारी की शर्ते मैंने पढ़ ली है और समझ ली है और इन्हें मानकर निम्नलिखित साक्षियों के सन्मुख हस्ताक्षर करता हूँ।

Vikas Goyal

लेख तिथि : 26-02-2019

साक्षी नं. 1

विकास गोयल
किरायेदार

Subash Kumari
सुभाष कुमारी
दुकान मालिक

साक्षी नं. 2

NOTARY ... INDIA
ATTESTED
NOTARY
Distt AMBALA